

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:अधिसूचना:

संख्या-11/क0च0आ0-16-07/2011(खण्ड) का0...../राँची, दिनांक- जुलाई, 2018

विभागीय अधिसूचना सं0-11/क0च0आ0-16-07/2011 का0-2062, दिनांक-08.03.2017 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडिएट/10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अर्हता धारक पद हेतु) संचालन नियमावली-2017 के अनुसूची-1 में क्रमांक-09, 10 एवं 11 के रूप में निम्नांकित अंश को शामिल करते हुए प्रतिस्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	कौशल परीक्षण
1.	वाणिज्य-कर विभाग	निम्नवर्गीय लिपिक	इन्टरमीडिएट/10+2	कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी टंकण में कम-से-कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति।
2.	योजना-सह-वित्त विभाग (भविष्य निधि निदेशालय)	निम्नवर्गीय लिपिक	इन्टरमीडिएट/10+2	कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, अधिकतम 02 प्रतिशत अशुद्धि सहित।
3.	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	निम्नवर्गीय लिपिक	इन्टरमीडिएट/10+2	कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण में कम-से-कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति, अधिकतम 02 प्रतिशत अशुद्धि सहित।
		निम्नवर्गीय लिपिक (कारखाना एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय को छोड़कर)	इन्टरमीडिएट/10+2	कम्प्यूटर हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट, अधिकतम 02 प्रतिशत अशुद्धि सहित।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(के0 के0 खण्डेलवाल)

अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-11/क0च0आ0-16-07/2011(खण्ड) का0⁵¹⁰¹...../राँची, दिनांक- 10 जुलाई, 2018
प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव।